रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No.D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 14, 1976 (माघ 25, 1897)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 14, 1976 (MAGHA 25, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 20 जनवरी 1976 तक प्रकाशित किए गए हैं:—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 20th January 1976 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
16.	सं० 5-ई० टी० सी० (पी० एन०) / 76, दिनांक 16 जनवरी, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	भारत से सूती धागे का निर्यात।
	No./5-ETC(PN)/76, dated the 16th January, 1976	Ministry of Commerce.	Export of Cotton yarn from India.
17.	सं० 7-आई० टी० सी० (पी० एन०) /76, दिनांक 16 जनवरी, 1976	तदैव	लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1975 - मार्च, 1976 के लिए डी० एम० टी० का आयात।
	No. 7-ITC(PN)/76, dated the 16th January, 1976.	Do.	Import of D. M. T. for the licensing period April, 1975—March, 1976.
18.	सं० एफ० 2 (27)/ एन० एस० /75, दिनांक 16 जनवरी, 1976	वित्त मंत्रालय	डाक घर बचत बैंक जमा कर्ताओं के चौथा ड्रा की देख रेख करने के लिए एक समिति का संगठन।
	No. F.2 (27)/NS/75, dated the 16th January, 1976.	Ministry of Finance.	Constituting a Committee to hold Fourth Draw of the Post Office Savings Bank account holders.
19.	सं० 8-आई० टी० सी० (पी० एन०) /76, दिनांक 17 जनवरी, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	25 सितम्बर, 1975 से मुद्राओं की बास्किट से शृंखलाबद्ध रुपय के विनियम मूल्य के परिणाम-स्वरूप मिश्रित दरों में परिवर्तन।
	No. 8-ITC(PN)/76, dated the 17th January, 1976	Ministry of Commerce	Revision of composite rates consequent on the exchange value of rupee-link-up with basket of currencies w.e.f. 25-9-1975
20.	सं० 9-आई० टी० सी० (पी० एन०) /76, दिनांक 19 जनवरी, 1976	तदैव	अप्रैल, 1975- मार्च 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति।
	No. 9-ITC(PN)/76, dated the 19th January, 1976.	Do.	Import Policy for registered Exporters for the period April 1975—March 1976 (Amendment).
21.	सं० 10-आई० टी० सी० (पी० एन०) /76, दिनांक 20 जनवरी, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	सार्वजनिक सूचना सं० 5- आई० टी० सी० (पी० एन०) 76, दिनांक 9-1-76 के लिए शुद्धि-पत्र।
	No. 10—ITC(PN)/76, dated the 20th January, 1976.	Do.	Corrigendum to Public Notice No. 5-ITC(PN)/76, dated 9th January, 1976.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 109

भाग I—खंड 2 (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 263

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 161

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . . —

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . 335

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारीयों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 769

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश 23

भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1351

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 143

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं —

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . . 1051

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 25

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 109

PART I—SECTION 2.—Notification ragarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 263

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. ..

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 161

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. ..

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. PAGE 335

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 769

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 23

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 1351

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 143

PART III—SECTION 3.—Nosifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. —

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. . 1051

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies 25

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 1975

सं० एस०एस०आई०(1)-17(6)/74—औद्योगिक विकास मंत्रालय के संकल्प संख्या एस०एस०आई०(1)-17(6)/74 दिनांक 18 जुलाई, 1974 जिसके द्वारा लघु उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन/शामिल कर दिया जाए :—

के स्थान पर	पढ़िए
(i) क्र०सं० 35 श्री जे० एन० सक्सेना, चेयरमेन, बैंक आफ इंडिया, 72/80 महात्मागांधी रोड, बम्बई-1	क्र० सं० 35 चेयरमेन, बैंक आफ इंडिया, 72/80 महात्मा गांधी रोड, बम्बई-1

(ii) **शामिल कर दिया जाए :**

"क्र० सं० 62
श्री सेवा राम, एडवोकेट,
प्रेसीडेंट,
इंटक (पंजाब शाखा),
पक्का बाग,
जालन्धर सिटी"।

पी० के० एस० अय्यर,
अवर सचिव।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 1976

संकल्प

सं० 3-7/75-एफ०-II—इस मंत्रालय के दिनांक 8 जुलाई, 1975 के इसी संख्या के संकल्प के अनुसार गठित वन संसाधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण की क्षेत्रीय समन्वय समितियों की सदस्यता बढ़ाने के प्रश्न पर इस मंत्रालय ने आगे और विचार किया है। यह अनुभव किया गया है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए एकीकृत समन्वित क्षेत्रीय योजना के निरूपण के कार्य के लिए संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तर पूर्वी परिषद को भी पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाये, ताकि उत्तर पूर्वी परिषद् को क्षेत्र में वन-संसाधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण के कार्यक्रमों से सम्पर्क रखने तथा क्षेत्र में सम्बन्धित क्रिया-कलापों का प्रभावी समन्वय करने में सहायता मिल सके। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि उत्तर-पूर्वी परिषद्, शिलांग का एक प्रतिनिधि भी वन-संसाधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण की पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्रीय समन्वय समिति का सदस्य होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सब सदस्यों, भारत सरकार के सब मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक, सब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के सब संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, एवं संसद पुस्तकालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० के० सेठ,
वन महानिरीक्षक तथा पदेन,
अपर सचिव।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 दिसम्बर 1975

विषय :—समेकित बाल विकास सेवा योजना के लिए कार्यकारी समिति का गठन।

सं० एफ०22-5/74-सी०डी०डी०—बाल विकास के समेकित उपागम का उपयोग काफी समय से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता आ रहा था। इस विषय पर विभिन्न अध्ययनों और अन्तर मंत्रालय विचार-विनिमय के पश्चात् सरकार ने केन्द्रीय प्रवृत्तित क्षेत्र के अधीन पांचवी पंच वर्षीय योजना में प्रयोगात्मक आधार पर क्रियान्विति के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की अनुमति प्रदान की है। इस योजना में शहरी गंदी बस्तियों, आदिमजाति क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल-पूर्व बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है :—

इस योजना में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगी :—

1. अनुपूरक पोषाहार
2. प्रतिरक्षण
3. शारीरिक जांच
4. निर्देश सेवाएं
5. अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा

2. इस विभिन्न सेवाओं के संगठनों को भारत सरकार और राज्य सरकारों के अनेक विभागों के साथ घनिष्ट मन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। समेकित बाल विकास सेवा योजना पर शीघ्र समन्वित कार्यवाही करने हेतु, भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। उस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना के लिए परियोजना क्षेत्रों में सेवाओं को बराबर सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों का समन्वय करना ;
2. समेकित बाल विकास सेवा योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से मिलने वाली सामग्री और सेवाओं में अपेक्षित सहयोग को सुनिश्चित करना ;
3. समेकित बाल विकास सेवा योजना की सफलता के के लिए अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश देना ;

3. समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री	अध्यक्ष
2. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3. सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय	सदस्य
4. सचिव, योजना आयोग	सदस्य
5. सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
6. अपर सचिव, परिवार नियोजन विभाग	सदस्य
7. सचिव, समाज कल्याण विभाग	संयोजक

4. समिति का कार्यकाल पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक रहेगा।

5. समिति की बैठक तीन महीने में एक बार होगी। यदि आवश्यक हुआ, तो अधिक बार भी बुलाई जा सकती है।

6. यदि समिति ने आवश्यक समझा तो इन बैठकों में भाग लेने के लिए उसे अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने तथा प्रमुख बाल कल्याण विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के भी अधिकार होंगे।

7. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निमंत्रित गैर-सरकारी सहयोजत सदस्य तथा बाल कल्याण विशेषज्ञ यात्रा करने के लिए वही यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के पात्र होंगे जो भारत सरकार के प्रथम ग्रेड के अधिकारियों को स्वीकार्य हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० एन० लूथरा, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 30th December 1975

No. SSI(I)-17(6)/74.—In the Ministry of Industrial Development Resolution No. SSI(I)-17(6)/74, dated the 18th July, 1974 reconstituting the Small Scale Industries Board, the following amendment/addition may be made :

(i) *For*

"*Sl. No.* 35

Shri J. N. Saxena,
Chairman,
Bank of India,
72/80, Mahatma Gandhi Road,
Bombay-1".

Read

"*Sl. No.* 35
Chairman,
Bank of India,
72/80, Mahatma Gandhi Road,
Bombay-1".

(ii) *Add.*

"Sl. No. 62. Shri Sewa Ram, Advocate
President,
Indian National Trade Union Congress (Punjab Branch)
Pucca Bagh,
Jullundur City."

P. K. S. IYER, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 17th January 1976

RESOLUTION

No. 3-7/75-F.II.—The question of expanding the membership of the Zonal Coordination Committees of the Pre-investment Survey of Forest Resources constituted *vide* this Ministry's Resolution of even number dated the 8th July, 1975 has been further considered by this Ministry. It has felt that the North Eastern Council set up by an Act of Parliament with the task of formulation a unified coordinated regional plan for north eastern region may also be represented in the Eastern Zonal Coordination Committee with a view to help the North Eastern Council to keep in touch with the programme of the Pre-investment Survey of Forest Resources in the region and to affect coordination of related activities in the region. It has accordingly been decided that a representative of the North Eastern Council, Shillong shall also be a member of the Zonal Coordination Committee Eastern Zone of the Pre-investment Survey of Forest Resources.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Members of the Committee, All Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President, Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, All States and Union Territories, All attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SETH,
Inspector General of Forests &
Ex-officio Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 11th September 1975

SUBJECT :—Constitution of the Action Committee for the Integrated Child Development Services Scheme.

RESOLUTION

No. F.22-5/74-CDD.—The application of an integrated approach to Child Development had been engaging the attention of Government for considerable time. After several studies and inter-Ministerial discussions on the subject, the Government have sanctioned the scheme of the Integrated Child Development Services Scheme for implementation on an experimental basis in the Fifth Five Year Plan in the Centrally-Sponsored Sector. The Scheme envisages the delivery of a package of services to the Pre-school children and nursing and expectant mothers in the urban slum, tribal areas and rural areas. The package will consist of the following services :—

(i) Supplementary nutrition;

(ii) Immunization;

(iii) Health check-up;

(iv) Referral services;

(v) Nutrition and health education; and

(vi) Non-formal pre-school education.

2. The organisation of these diverse services requires close co-ordination with and co-operation of a number of Departments in the Government of India as also in the State Governments. In order to direct expeditious co-ordinated action on the ICDS Scheme, an Action Committee is hereby constituted in the Government of India. The terms of reference of the Committee are as follows :

(i) to co-ordinate the programmes of the different Departments of the Government of India to ensure the smooth flow of services in the project areas for the Integrated Child Development Services Scheme;

(ii) to ensure that the requisite contribution in material and services comes forth from the different Departments to ensure the implementation of Integrated Child Development Services Scheme;

(iii) to direct such other action as may be necessary for the success of the ICDS projects.

3. The Committee will consist of :

Chairman

(1) Minister of Education, Social Welfare and Culture.

Members

(2) Secretary, Department of Rural Development.

(3) Secretary, Ministry of Health and Family Planning

(4) Secretary, Planning Commission.

(5) Secretary, Department of Education.

(6) Additional Secretary, Department of Family Planning.

(7) Secretary, Department of Social Welfare.

Convenor

4. The tenure of the Committee will last till the end of the Fifth Plan period.

5. The Committee will meet once in a quarter or oftener, if necessary.

6. The Committee will have powers to co-opt additional members and invite eminent child welfare experts to attend its meetings as and when necessary.

7. The non-official coopted members of the Committee and child welfare experts invited to attend the meetings of the Committee will be entitled to T.A./D.A. for their journeys to attend meetings, as admissible to First Grade Officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. N. LUTHRA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976